



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15646

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1798 वर्ष 2026

माधुरी यादव

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता:

सुरेंद्र मोहन मिश्रा

विपक्षी के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. सूची को संशोधित किया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेंद्र मोहन मिश्रा, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राम मोहित यादव को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 189 ऑफ 2025, अंतर्गत धारा 103(1), 118(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.), थाना-खेसरहा, जिला- सिद्धार्थ नगर में जमानत पर रिहा करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलंब है और उक्त कारित विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 06.11.2025 से जेल में निरुद्ध है और वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।
5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का इस आधार पर कड़ा विरोध किया है कि मृतक व्यक्ति का मृत्युकालिक कथन (dying declaration) मौजूद है, जिसके अनुसार आवेदक और सह-अभियुक्त सुधा ने मृतक व्यक्ति के ऊपर पेट्रोल छिड़का था, तत्पश्चात सह-अभियुक्त राकेश ने माचिस जलाकर उसे आग लगा दी थी, अतः वह जमानत की हकदार नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात और मृतक व्यक्ति के मृत्युकालिक कथन को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को जमानत देने के लिए इसे उपयुक्त मामला नहीं पाता हूँ।
7. जमानत आवेदन गुण-दोष रहित पाया जाता है और तदनुसार खारिज किया जाता है।
8. हालांकि, यह निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई कानूनी बाधा न हो, तो विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उक्त मामले को उच्चतम न्यायालय द्वारा विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) SCC 220 और हुसैन एवं अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 SCC 702 के मामलों में हाल के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में शीघ्रता से निस्तारित किया जाए।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियां केवल जमानत आवेदन के निस्तारण के संबंध में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

जनवरी 21, 2026

विकास वर्मा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।